अमर उजाला

दिनांक. 21. 8. 2010

नि: शुल्क कानूनी सहायता हासिल को आय सीमा बढ़ी

नैनीताल। उत्तराखंड राज्य विधिक -सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल के सार्थक प्रयासों से राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों के लिए नियत 50 हजार रुपया वार्षिक आय (समस्त स्त्रोंतो) की सीमा को 1 लाख वार्षिक आय तक बढ़ाने राज्यपाल ने स्वीकृति दे दी है। यह जानकारी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रशांत जोशी ने दी।

दैनिक जागरण 21-8-2010

निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले पात्रों की आय में वृद्धि

नैनीतालः राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों की आय सीमा को 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दिया गया है। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के इस प्रस्ताव को राज्यपाल ने मंजूरी प्रदान कर दी है। इस फैसले से आम एवं गरीब व्यक्ति को सुलभ एवं त्वरित न्याय की उम्मीदें बलवती हो गई हैं।

उल्लेखनीय है राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के पात्रों की सभी स्त्रोतों से आय 50 हजार निर्धारित थी। अब राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण नैनीताल के कार्यपालक अध्यक्ष न्यायमूर्ति तरुण अग्रवाल के प्रयासों से राज्य में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए नियत वार्षिक आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख कर दी गई है। मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राज्यपाल ने इस फैसले पर मुहर लगा दी है। अब वे सभी व्यक्ति जिनकी समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय एक लाख से कम हो वह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त निःशुल्क कानूनी सलाह अथवा सहायता अथवा निःशुल्क अधिवक्ता की सेवाएं प्राप्त करने के हकदार होंगे।

हिन्दुस्तान
शनिवार 21 अगस्त 2010

निःशुल्क कानूनी सहायता की आय सीमा बढ़ी

नैनीताल। प्रदेश में निःशुल्क कानूनी सहायता प्राप्त करने के लिए निर्धारित आय सीमा 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये कर दी गई है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष व हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति तरूण अग्रवाल के इस आशय के परामर्श को राज्यपाल ने स्वीकृति प्रदान की है। उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव प्रशांत जोशी ने बताया है कि न्यायमूर्ति अग्रवाल ने पहले से चली आ रही आय सीमा को कम बताते हुए इसको बढ़ाने पर बल दिया और प्राधिकरण के कार्यपालक अध्यक्ष के बतौर इस आशय का प्रस्ताव राज्यपाल को भिजवाया था। इधर राज्यपाल ने इसे स्वीकृति प्रदान कर दी है। अब एक लाख सालाना आय वाले व्यक्ति प्राधिकरण से निःशुल्क कानूनी सलाह प्राप्त कर सकेंगे।